


२२१। फ्रावली पेश हुई रुक-रुक कर
तीन बार आपाज दिली गई न तो
अभिभावक उपस्थित हैं और न ही
पक्षकारण फ्रावली पुनः शुरू से ही
तलबी में चल रही है ऐसी स्थिति
में न्यायालय इस प्रकार को आगे
जरूरत खोजा उचित नहीं समझता है
अतः फ्रावली अदम लजरी अदम पेशी
में खारिज की जाती है फ्रावली फ़ैसल
शुमार लेकर नम्बर से कम की जावे,
निर्णय आज दिनांक 6-1-2021 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज.)

